## न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन कमांक 205 / 18

छुन्ना उर्फ सूरजभान सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम खरौआ, हाल निवासी वार्ड नंबर 2 गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

----आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड

----अनावेदक

## जमानत आवेदन कमांक 213/18

संजीव पुत्र चंद्रभान कोरकू आयु 42 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 1 छत्तरपुरा गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

———आवेद

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड

---अनावेदक

14-06-2018

आवेदक / अभियुक्त छुन्ना उर्फ सूरजभान की ओर से श्री उदल सिंह गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक / अभियुक्त संजीव की ओर से श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

विचारण न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे०एम०एफ०सी० गोहद से मूल आपराधिक प्र०क० 236 / 18 प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 205/18 आवेदक छुन्ना उर्फ सूरजभान का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। जमानत आवेदन क्रमांक 213/18 आवेदक संजीव का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकार एक ही मामले में दोनों आवेदक/अभियुक्तगण के पृथक—पृथक जमानत आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण दोनों जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदक / अभियुक्तगण छुन्ना उर्फ सूरजभान व संजीव की ओर से कमशः श्री उदल सिंह गुर्जर अधिवक्ता व श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं०प्र०सं० का खारिज हो जाने के उपरांत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त आवेदक / अभियुक्तगण की ओर से उपरोक्तानुसार प्रथम नियमित जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत

नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है, जिसकी पुष्टि में शपथपत्रकर्ता कमशः नारायण सिंह व नारंगी ने स्वयं के शपथ पत्र पेश किये हैं।

आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ४३९ दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक / अभियुक्तगण छुन्ना उर्फ सूरजभान व संजीव की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदकगण ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस थाना गोहद ने आवेदकगण को गलत तथ्यों के आधार पर आरोपी बनाया है, सहअभियुक्त दीपू व रिव की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के आदेशानुसार हो चुकी है तथा सहअभियुक्तगण राजेश, गंगा सिंह, प्रेम सिंह व शशीकांत की जमानत इस न्यायालय द्वारा हो चुकी है। सहअभियुक्तगण का अपराध आवेदकगण के अपराध से भिन्न नहीं है। अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। कथित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। आवेदकगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदकगण सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः समानता के आधार पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्रों का विरोध कर उन्हें निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 02.04.18 को इटायली रोड़ गोहद में आवेदक / अभियुक्तगण सहित अन्य 700—800 सहअभियुक्तगण द्वारा लाठी, डण्डा व सरिया से सुराज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन करते हुये बलवा कर पुलिस पार्टी पर पथराव करते हुय शासकीय वाहनों में तोड़फोड़ कर शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई है तथा शासकीय कार्यों में बाधा डाली गई है तथा लोक सेवक नरेंद्र सिंह एवं आशीष शर्मा को भी चोटें पहुंचाई गई हैं।

जक्त घटना के संबंध में धारा 147, 148, 149, 336, 186, 353, 332 भा0दं0वि० के अंतर्गत थाना गोहद में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 83/18 पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामले में आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं होकर जेएमएफसी न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। आवेदक/अभियुक्त छुन्ना उर्फ सूरजभान दिनांक 07.04.18 व आवेदक/अभियुक्त संजीव दिनांक 05.04.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में हैं एवं प्रकरण के निराकरण मे विलंब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा आवेदक/अभियुक्तगण का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड होना भी प्रकरण के अवलोकन से दर्शित नहीं है और मामले में सहअभियुक्त रिव व दीपू की नियमित जमानत माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के एमसीआरसी नंबर 21029/18 में पारित आदेश दिनांक 04.06.18 के द्वारा

हो चुकी है एवं राजेश, गंगा सिंह, प्रेम सिंह तथा शशीकांत की नियमित जमानत इस न्यायालय के आदेशानुसार हो चुकी है तथा आवेदक / अभियुक्तगण का मामले में कृत्य नियमित जमानत का लाभ प्राप्त कर चुके सहअभियुक्तगण रिव, दीपू, राजेश, गंगा सिंह, प्रेम सिंह व शशीकांत के कृत्य से विशिष्ट रूप से भिन्न होना दर्शित नहीं है।

अतः समानता के आधार सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्तगण छुन्ना उर्फ सूरजभान व संजीव की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त छुन्ना उर्फ सूरजभान व संजीव में से प्रत्येक की ओर से विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य निम्न शर्तों सहित 25000—25000/— रूपये की दो सक्षम जमानतें एवं 50000/— रूपये का बंधपत्र पेश होने पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा से उन्मुक्त किये जाने हेतु विधिवत रिहाई आदेश जारी हो। शर्तें:—

- 1-The petioners will comply with all the terms and conditions of the bond executed by him;
- 2-The petioners will cooperate in the investigation/ trial, as the case may be;
- 3- The petioners will not indulge themselves in extending inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him/her from disclosing such facts to the Court or to the Police Officer, as the case may be;
- 4- The petioners shall not commit an offence similar to the offence of which he is accused;
- 5- The petioners will not seek unnecessary adjournments during the trial; and
- 6- the petioners will not leave india without previous permission of the trial Court/Investigating Officer, as the case may be.

आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख विधिवत वापस भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद